(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम० तम्बी दुरई): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या की असमान वृद्धि से कारित असंतुलन को ठीक करने की दृष्टि से उनको आंबटित स्थानों को परिवर्तित किए बिना 1991 की जनगणना के आधार पर संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की विद्यमान सीमा को पुनः समायोजित करने के एक प्रस्ताव पर, सरकार द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ 22 मई, 1990 को हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। तथापि, राजनीतिक दलों ने यह महसूस किया कि विद्यमान सांविधानिक उपबंधों के अनुसार वर्ष 2000 के पश्चात् प्रथम जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के पश्चात् नया परिसीमन आज्ञापक हो जाएगा तथा वर्ष 2000 निकट ही है अतः विद्यमान सांविधानिक उपबंधों के अनुसार नया परिसीमन किया जा सकता है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी नीति

706. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अन्तर्राज्यीय स्थानांतरण संबंधी नीति की समीक्षा की जा रही है;

(ख) 1990 से 1997 तक की अवधि के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित और फिर वापिस अपने गृह राज्य में स्थानांतरित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) अपनी तैनाती अपने गृह राज्यों में कराने के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से कितने आवेदन लंबित हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम० तम्बी दुरई): सरकार ने विधि आयोग द्वारा उसकी 80वीं रिपोर्ट की इन सिफारिशों को नीति के रूप में स्वीकार कर लिया था कि एक ऐसा कन्वेंशन होना चाहिए जिसके अनुसार प्रत्येक उच्च-न्यायालय में एक-तिहाई न्यायाधीश किसी अन्य राज्य से होने चाहिए। सरकार ने विनिश्चय किया था कि इसे या तो राज्य के बाहर से आरंभिक नियुक्तियां करके या स्थानांतरण करके कार्यान्वित किया जा सकता है। इस नीति के अनुसरण में, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायमूर्तियों के स्थानांतरण/नियुक्तियां, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर की जा रही हैं।

इस समय उपर्युक्त नीति में कोई परिवर्तन विवक्षित नहीं है।

(ख) मुख्य न्यायमूर्तियों/न्यायाधीशों के स्थानांतरण निम्नलिखित संख्या में एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च-न्यायालय में किए गए थे:

वर्ष	उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों/न्यायाधीशों के स्थानांतरणों की संख्या
1990	5
1991	8
1992	1
1993	6
1994	144
1995	12
1996	24
1997	42

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित नहीं है।

Cargo Handling of Visakhapatnam Port

707. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the cargo handled by the Visakhapatnam Port Trust in 1997-98 as against the target set up;

(b) the berth occupancy of the port and the profit earned during the said period; and

(c) further steps proposed to increase the activities of the Port?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) The Port handled a traffic of 36.01 Million Tonnes as against the target of 35.6 Million Tones during 1997-98.

(b) The overall average berth occupancy was 90% during 1997-98 and the Port

carned a provisional net surplus of around Rs. 73.00 Crores.

(c) The Port traffic is projected to be around 45 Million Tonnes by the turn of the Century. The Port has planned many schemes during the IXth Plan including one LPG Jetty, one Multi-purpose Berth in Outer Harbour and four Multi-purpose berths in the Inner Harbour for augmenting the existing Port Capacity.

Operations of NHAI

708. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether National Highways Authority of India has a separate division for road safety:

(b) if so, details of the operation of this division;

(c) whether it is a fact that response is very slow to suggestions made to improve road safety; and

(d) if so, reasons for neglect?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Assistance from World Bank for Improvement of National Highways

709. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the total length of road (National Highways) to be improved through sanction of loan by the World Bank during 1998-99; and

(b) the details of roads to be improved under the A.P. State Highways Project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) There is no proposal for sanction of loan by the World Bank during 1998-99 for improvement of National Highways.

(b) 14 State Highways and Major District Roads, totalling a length of about 1412 Kms. are proposed to be improved under World Bank loan assistance for Andhra Pradesh State Highways Project.

दिल्ली-नीतिपास मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाना

710. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली-नीतिपास मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जोशीमठ से आगे दो घाटियां यथा 1. नीति और 2. माणा है और क्या सरकार ने जोशीमठ-बद्रीनाथ धाम माणा मोटर मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक लागू किया जाना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार गाजियाबाद-माणा सड़क, वाया मेरठ, हरिद्वार, जोशीमठ, बद्रीनाथ को 24 दिसम्बर, 1997 से राष्ट्रीय राजमार्ग-58 घोषित किया जा चुका है। गाजियाबाद से जोशीमठ तक का भाग माणा और नीति दोनों के लिए एक ही है। फिलहाल, जोशीमठ-नीति पास मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Private Investment in Port Sector

711. SHRI O. RAJAGOPAL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the amount invested in Port Sector by the private entrepreneurs (both Indian as well as foreign) for creation of additional infrastructure since liberalisation;